दुकानदारों - फल एवं सब्जी/मांस, अंडा/किराना के साथ राशन की दुकान/दवाई/ पेट्रोल पम्प/दूध की दुकान के लिए

- आवश्यक सामग्रियां तथा सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध रखें। इसके लिए आधिकारिक निर्देशानुसार अपनी दुकान खुली रखें।
- सामान इकट्ठा करके कृत्रिम कमी न लगाएं।
- सामग्रियों /सेवाओं के लिए निर्धारित दर से अधिक रकम की वसूली न करें।
- सामानों की डिलीवरी अथवा भुगतान प्राप्त करने (नकदी अथवा कार्ड) के उपरांत प्रत्येक बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें।
- ग्राहकों को भीड़ लगाने से मना करें।
- दुकानदार अपनी दुकान के बाहर 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर ग्राहकों के खड़े रहने की व्यवस्था करें तथा एक व्यक्ति के बाहर निकलने जाने के बाद ही अन्य को बारी-बारी से दुकान पर आने की अनुमति दें। सुरक्षित दूरी कायम रखने के लिए कई चिन्ह लगा सकते हैं।
- जहां तक संभव हो सके, ग्राहकों को उनकी जरूरत की सामग्रियां अपने किसी सहायक के जरिए प्रदान करें तथा एकाधिक सम्पर्क से बचने के लिए सभी ग्राहकों को स्वयं सामानों को उठाने की अनुमति न दें।
- इस कार्य में सहायता करने वाला कर्मचारी भी अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करते रहें।
- ग्राहकों को काउंटर से सुरक्षित दूरी (1 से 1.5 मीटर) बरकरार रखने की व्यवस्था करें अथवा उनसे ऐसा करने को कहें।
- काउंटर पर व्यक्ति अथवा दुकान के अंदर सहायक मॉस्क अवश्य पहनें।